# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 14/2023 तारीख रजू:—19.01.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्द
2. गोपाली पत्नी गोविन्द
3. चेतन सिंह पुत्र गोविन्द
4. देशराज पुत्र गोविन्द
5. सुनीता पुत्री गोविन्द
6. कमला पत्नी छोटेलाल
7. सरदार पुत्र गुलमा
8. छोटे पुत्र विशान्या
9. मुंगी पुत्र प्रभू
10. यादराम पुत्र प्रभू
11. चन्द्रदत्त पुत्र विधानलाल
12. रामखिलाड़ी पुत्र प्रभू

जाति समस्त मीणा
निवासी सूरौठ,
तहसील सूरौठ,
जिला करौली
राजस्थान।

——————————————सायलान

## बनाम

1. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरौठ।
2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सूरौठ।
3. तहसीलदार, तहसील सूरौठ (लैण्ड होल्डर) ———————— गैरसायलान

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री एस. एल. चौधरी एडवोकेट सायलान

## निर्णय

दिनांक :—

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1184/2927 रकबा 3 एयर, 1217

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 36 एयर, 1548 रकबा 39 एयर, 1549 रकबा 33 एयर, 1560 रकबा 48 एयर, 1565 रकबा 23 एयर, 1577 रकबा 42 एयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.23 हैक्टेयर स्थित ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली जिसके सायलान नम्बर 1 लगायत 5 सम्पूर्ण रकबे के खातेदार काश्तकार हैं। मूल खातेदार कलावती पत्नी गिर्राज फौत हो चुकी है, जिसके तर्के पर उनके विधिक वारिसान सायलान संख्या 1 लगायत 5 हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1222 रकबा 20 एयर, 1242 रकबा 8 एयर, 1250 रकबा 23 एयर, 1551 रकबा 1 एयर, 1552 रकबा 32 एयर, 1561 रकबा 39 एयर, 1562 रकबा 57 एयर, 1578 रकबा 36 एयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में है। इनके सम्पूर्ण रकबे के दावे में प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 खातेदार काश्तकार हैं। लेकिन खसरा नम्बर 1562 रकबा 37 एयर के बाबत प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 9 ने सायलान नम्बर 1 लगायत 5 से बदल पत्र कर रखा है, जिससे उक्त नम्बर पर सायलान नम्बर 1 ता 5 का कब्जा काश्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1565/3127 रकबा 22 एयर, स्थित ग्राम सूरौठ है, जिसके सम्पूर्ण रकबे का सायल नम्बर 6 खातेदार काश्तकार है। जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1566 रकबा 11 एयर व खसरा नम्बर 1567 रकबा 55 एयर, स्थित ग्राम सूरौठ, तहसील सूरौठ, जिला करौली है, जिसके सायल संख्या 1 लगायत 12 खातेदार काश्तकार हैं। गैर–सायलान या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 लगायत 4 में सायलान द्वारा मौके पर गेहूँ व सरसों की फसल काश्त कर रखी है, जो मौके पर सरसब्ज हालत में खड़ी हुई है। मद संख्या 1 लगायत 4 में दर्ज आराजीयात खसरा नम्बर 1563, 1564, 1566, 1567, 1565,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

1562, 1565/3127 आबादी के नजदीक हैं। उक्त आराजीयात बेशकीमती भूमि है, जिस पर गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 की कुदृष्टि पड़ गई है, जिसे येन–केन–प्रकारेण गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 नाजायज तरीके से हड़पना चाहते हैं तथा सायलान द्वारा की गई फसल को उजाड़कर नष्ट करना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 5 में साविक नम्बर 1476, 1475, 1473, 1473/2 में से बनाये गये हैं। मुताबिक साविक नया शीट व नवीन नक्शा शीट का मिलान करने पर नवीन नक्शा शीट में डॉट–डॉट लाईन से गलत रूप से दर्शाया गया है, जिससे मौके पर गैर–सायलान नम्बर 1 ता 3 के मन में बदनीयती आ गई है। साविक नक्शा शीट के मिलान पर रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की डॉटेड लाईन अंकित नहीं है। नवीन शीट की आड़ में दर्शाये गये आम रास्ते को बन्द करना चाहते हैं। गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 रास्ता को रोकने पर उतारू है। व रास्ता की आड़ में सायलान के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1563, 1564, 1566, 1567, 1565, 1562, 1565/3127 पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 16.01.2023 को दिन के 12 बजे के आसपास की है कि गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 अपने साथ गैर–सायलान नम्बर 3 के अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी को लेकर मौके पर आ गये और सायलान को बिना किसी सूचना के सायलान के खेतों की नाप–तोल करने लगे। सायलान ने मना किया तो गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 नाराज हो गये और कहने लगे कि हम खसरा नम्बर 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1565/3127, 1562 की भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे व इसे स्कूल में मिलायेंगे। या तो तुम लोग राजीबाजी उक्त भूमि खाली कर दो, वरना हम प्रशासन की मदद से तुम्हारी फसल उजाड़कर स्कूल में मिलाने की कार्यवाही करेंगे। सायलान ने हाथ जोडकर निवेदन किया कि उक्त भूमि हमारे कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। आप लोग हमें नाहक क्यों परेशान कर रहे हों, तो गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम स्कूल के फील्ड में होकर निकल रहे रास्ते को बन्द करके तुम्हारी खातेदारी भूमि पर कब्जा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

यदि गैर–सायल नम्बर 1 व 2 अपने गैर–कानूनी इरादे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं प्राईमाफसी केश सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि यदि गैर–सायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया जाता है तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, किन्तु पाबन्द न करने की दशा में सायलान को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार द्रव्य में सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना है किः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैर–सायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे आराजीयात खसरा नम्बर 1563, 1564, 1566, 1567, 1562, 1565, 1565/3127 स्थित ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ, जिला करौली पर किसी प्रकार कोई अतिक्रमण न करें, सायलान की डोल–मेड़ न तोड़ें, उक्त खसरा नम्बरों को जा रहे रास्ते को नहीं रोके, रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत कायम रखें। ऐसा कोई भी कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान को किसी भी प्रकार की कोई हानि होती हो। स्थिति यथावत कायम रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.10.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश की हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1184/2937 रकबा 0.03 है0, 1217 रकबा 0.36 है0, 1548 रकबा 0.88 है0, 1549 रकबा 0.33 है0, 1560 रकबा 0.48 है0, 1565 रकबा 0.23 है0, 577 रकबा 0.42 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.23 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र गोविन्द हि0 1/10, कलावती पत्नि गिर्राज हि0 1/2, गोपाली पत्नि गोविन्द हि0 1/10, चेतनसिंह पुत्र गोविन्द हि0 1/10, देशराज पुत्र गोविन्द हि0 1/10, सुनीता पुत्री गोविन्द हि0 1/10, जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.20 है0, 1242 रकबा 0.08 है0, 1550 रकबा 0.28 है0, 1551 रकबा 0.01 है0, 1552 रकबा 0.32 है0, 1561 रकबा 0.39 है0, 1562 रकबा 0.57 है0, 578 रकबा 0.35 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.15 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी चतर पुत्र ठण्डी हि0 1/6, ढकेली पत्नि ठण्डी हि0 1/6, भरतलाल पुत्र ठण्डी हि0 1/6, लखन पुत्र ठण्डी हि0 1/6, लखनबाई पुत्री ठण्डी हि0 1/6, हुकम पुत्र ठण्डी हि0 1/6, जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1565/3127 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी कमला पत्नि छोटेलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1566 रकबा 0.11 है0, 1567 रकबा 0.55 है0, 271 रकबा 0.53 है0, 315 रकबा 0.09 है0, 316 रकबा 0.57 है0, 319 रकबा 0.25 है0, 320 रकबा 0.27 है0, 321 रकबा 0.61 है0, 323 रकबा 0.19 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी कैलाशी पुत्री किशनपाल हि0 1/35, गणगौरी पुत्री प्रभू हि0 1/7, चन्द्रदत्त पुत्र किशनपाल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हि0 1/35, जानकी पत्नि किशनपाल हि0 1/35, प्रकाशी पुत्री किशनपाल हि0 1/35, प्रेम पुत्री प्रभू हि0 1/7, फाबूली पत्नि प्रभू हि0 1/7, मुन्शी पुत्र प्रभू हि0 1/7, यादराम पुत्र प्रभू हि0 1/7, रूकमणी पुत्री किशनपाल हि0 1/35, रामखिलाडी पुत्र प्रभू हि0 1/7 जाति मीणा सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.13 है0, 1184/2935 रकबा 0.03 है0, 1216 रकबा 0.19 है0, 1234 रकबा 0.13 है0, 1235 रकबा 0.11 है0, 1237 रकबा 0.13 है0, 1553 रकबा 0.66 है0, 1554 रकबा 0.06 है0, 1555 रकबा 0.08 है0, 1556 रकबा 0.19 है0, 1563 रकबा 0.29 है0, 1564 रकबा 0.27 है0, 1726/3049 रकबा 0.09 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.47 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी उदयबाई पुत्री गुलमा हि0 1/48, छोटे पुत्र विशन्या हि0 1/8, दाखा पुत्री गुलमा हि0 1/48, बादामी पत्नि स्व0 रघुवीर हि0 1/40, बाबूलाल पुत्र गुलमा हि0 7/48, भगवानसिंह पुत्र विशन्या हि0 1/8, मुकेश पुत्र रघुवीर हि0 1/40, मुकेशी पुत्री रघुवीर हि0 1/40, रघुनाथ पुत्र विशन्या हि0 1/8, राकेश पुत्र रघुवीर हि0 1/40, राजसिंह पुत्र गुलमा हि0 7/48, वकील पुत्र रघुवीर हि0 1/40, सरदार पुत्र गुलमा हि0 7/48, सावूती पुत्री गुलमा हि0 1/48 जाति मीणा सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.29 है0, 1564 रकबा 0.27 है0, 1565 रकबा 0.23 है0, 1566 रकबा 0.11 है0, 1567 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ के सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.57 है0, 1565/3127 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायलान ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान के द्वारा सायलान के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। गैरसायलान राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिनके विरूद्ध दावा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

एवं प्रार्थना पत्र दायरी से 80 (2) सीपीसी का नोटिस भी गैरसायलान को नहीं दिया गया है। जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व दिया जाना कानूनन आवश्यक है। सायलान के द्वारा खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.57 है0, 1565/3127 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ के बाबत् भी अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई है, जबकि उक्त भूमि के सायलान खातेदार काश्तकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सायलान, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.29 है0, 1564 रकबा 0.27 है0, 1565 रकबा 0.23 है0, 1566 रकबा 0.11 है0, 1567 रकबा 0.55 है0, 1562 रकबा 0.57 है0, 1565/3127 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( हेमराज गुर्जर ) 10/11/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली